विज्ञप्ति-2

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, बदायूँ।

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय बदायूँ मे परिसर में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ठेका कैन्टीन, ठेका चना–चबैना, ठेका साइकिल स्टैण्ड, ठेका फल जूस, ठेका चाट, ठेका दुकान पान की खुलीबोली के द्वारा सार्वजनिक नीलामी दिनांक 01/07/2019 को सायंकाल –04:30 बजे से 5:00 बजे जनपद न्यायालय बदायूँ के केन्द्रीय सभागार मे नीलामी समिति के अध्यक्ष श्री भानुदेव शर्मा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ की अध्यक्षता में नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।

नीलामी की शर्तेनिम्नवतहैः–

10. किसी भी ऐसे व्यक्ति को नीलामी मे बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा, जिस पर पिछले किसी भी ठेके का बकाया धन शेष हो।
11. प्रत्येक बोली दाताओं को रू0 1000/–(एक हजार रूपये) धरोहर राशि बैंक डाफ्ट के रूप में बोली आरम्भ होने से पूर्व नजारत कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर उसे बोली बोलने का अधिकार नही होगा। यह धनराशि बोली समाप्ति के अधिकतम एक माह के अन्दर बोली कर्ता को लौटा दी जायेगी।
12. नीलामी की बोली विगत वर्ष की बोली की धनराशि में 10% वृद्धि से प्राप्त होगी।
13. सर्वोच्च बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली समाप्ति के उपरान्त आधी धनराशि तत्काल नजारत कार्यालय में जमा करनी होगी, जिसके उपरान्त बोली की स्वीकृति की संस्तुति की जायेगी। बोली स्वीकृति होने के उपरान्त अधिकतम एक माह के अन्दर शेष आधी धनराशि जमा करनी होगी। इस शेष आधी धनराशि को किस्तों में वितरण करने का व समय निर्धरित का विवेकाधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश बदायूँ को होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश के अन्यथा आदेश के अधीन उक्त शेष आधी धनराशि जमा न करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा की गयी आधी धनराशी जब्त कर ली जायेगी।
14. ठेका लेने वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को ठेका हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
15. ठेका स्वीकृत होने पर ठेकेदार को अंकन रू0 100(एक सौ रूपये) के स्टाम्प पर मय नवीतम फोटो के अनुबंध करना होगा कि वह सभी शर्तो का पालन करेगा।
16. किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये, जनपद न्यायाधीश, बदायूँ को होगा।
17. ठेका स्वीकृति व अनुमोदित होने के उपरान्त भी किसी भी समय अवैधानिक/शर्तो के विपरीत कार्य पाये जाने पर माननीय जनपद न्यायाधीश, बदायूँ को बिना नोटिस दिये ठेका निरस्त करने का विवेकाधिकार सुरक्षित रहेगा।
18. अपरिहार्य परिस्थितियों में नीलामी तिथि को स्थगित करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।

उक्त ठेका नीलामी के सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु सूचना के प्रकाशन के उपरान्त नीलामी दिवस से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे के मध्य केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय बदायूँ में सम्पर्क कर के प्राप्त किया जा सकता है।

Bhanudeosen 10/06/19

(भानु देव शर्मा)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ।

प्रतिलिपिः-सहायक नाज़िर को निम्नलिखित सूचनापटो पर चस्पा करने हेतु प्रेषितः-

1. कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बदायूँ।
2. कार्यालय जिलाधिकारी, बदायूँ।
3. कार्यालय तहसीलदार, सदर, बदायूँ।
4. कार्यालय नगर पालिका परिषद, बदायूँ।
5. रोडवेज, बदायूँ।
6. रेलवे स्टेशन, बदायूँ।
7. जिला अस्पताल, बदायूँ।
8. नोडल अधिकारी(कम्प्यूटर) नेट पर अपलोड करने हेतु।
9. प्रकाशन हेतु(दो अखबार) में।
10. शहर अमीन को सूचनार्थ।

Bhanudeosen 10/06/19

(भानु देव शर्मा)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदायूँ।